न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–0744–[illegible]

GCMS NO.-2024/97
मिसलनम्बर– 32 / 2024

श्रीमती मोहनी बाई पत्नि स्व0 चौथमल राठौर आयु 61 वर्ष जाति तेली निवासी मकान नं0 1321 विनोबाभवे नगर, कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.पंकज राठौर पुत्र स्व0 चौथमल राठौर आयु 43 वर्ष
2.श्रीमती सुनीता पत्नि पंकज राठौर आयु 45 वर्ष जाति तेली निवासीगण मकान नं0 1321 विनोबाभवे नगर, कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–
(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/11/24

उपस्थिति:–
1.श्री दीनानाथ गालव प्रार्थीया अधिवक्ता।
2.श्री चन्द्रप्रकाश राठौर अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की आयु 61 वर्ष हो चुकी है वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है, जिसके 3 पुत्र क्रमश: पंकज राठौर, प्रकाश राठौर व जगदीश राठौर जो विवाहित है दो पुत्र प्रकाश राठौर व जगदीश राठौर प्रार्थिया से पृथक अपने परिवार सहित निवास करते है, जबकि पंकज राठौर अप्रार्थी क्रम 1, अपनी पत्नि सुनीता अप्रार्थी क्रम 2 के साथ प्रार्थिया के पति की मृत्यु दिनांक 02.04.2021 के पश्चात से प्रार्थिया के साथ उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थिया के पति चौथमल राठौर व प्रार्थिया ने अपनी मेहनत की कमाई से उक्त मकान नं0 1321 विनोबाभावे नगर, कोटा खरीद किया था, प्रार्थिया के पति चौथमल राठौर की मृत्यु दिनांक 02.04.2021 को हो गई, उसके बाद अप्रार्थीगण जो कि पुत्र व पुत्र वधु हैं, अन्यत्र हाड़ौती कॉलोनी, कोटा में किराये के मकान में रहते थे, वहां अप्रार्थी क्रम–1 किराये के रूप में 8000/– रूपये प्रतिमाह अदा कर अप्रार्थीगण निवास करते थे, लेकिन बाद में माह अक्टुबर 2023 में प्रार्थिया के पास आये और कहने लगे कि हम तुम्हारी हर प्रकार से सेवा–सुश्रुषी करते रहेंगे, हारी बीमारी में ईलाज आदि करायेंगे, हर तरह से देखभाल करेंगे–इस आश्वासन पर प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण अपने उक्त मकान के नीचे के पोर्शन ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे, किचन व लेटरीन–बाथरूम, को बतौर लाईसेंसी पुत्र व पुत्रवधु होने के नाते रहने के लिये दे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दिया, लेकिन एक माह तक तो अप्रार्थीगण का व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थिया को तंग व परेशान करने लग गये, प्रार्थिया के सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान जिनमें एक तोला सोने का झेला, डेढ़ तोला सोने का मंगलसूत्र, आधा तोला सोने की अंगूठी तथा पावभर चांदी के पायजेब अप्रार्थिया क्रम 2 के पास हैं, इसके अलावा प्रार्थिया के दो गैस सिलेण्डर व गैस चूल्हा भी अप्रार्थीगण के पास है– अप्रार्थीण उक्त मकान के ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरें, किचन व लेटरीन–बाथरूम में निवास करते हैं, जबकि प्रार्थिया उक्त मकान के उपर की मंजिल के 2 कमरे, लेटरीन बाथरूम, जिसमें टीनशेड लगा हुआ है, में निवास करती है। तथा अपना खाना खुराक खुद ही बनाती है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की किसी प्रकार से कोई सेवा सुश्रुषा, खाना खुराक, हारी बीमारी में ईलाज कराना तो दूर रहा, उल्टा प्रार्थिया के साथ आये दिन दुर्व्यवहार व गाली गलोच करते रहते हैं, प्रार्थिया की कोई सेवा सुश्रुषा नही करते, नाही कोई खर्चा देते है, नाहीं कोई खाना पीने की कोई व्यवस्था करते हैं, नाही हारी बीमारी आदि में कोई ईलाज ही कराते हैं, प्रार्थिया जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है। कुछ कहने पर अप्रार्थीगण, प्रार्थिया से गाली गलोच व दुर्व्यवहार करते हुए कहते है कि इस बुढिया की फिल्म निबटानी पडेगी। प्रार्थिया का पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 पंकज राठौर आदतन अपराधिक प्रवृत्ति का रहा हैं, पूर्व में भी किसी गंभीर मामले मर्डर केस में जेल में काफी समय तक बंद रहा है, जिसे न्यायालय द्वारा दण्डित भी किया गया था– उस दौरान प्रार्थिया ने अपना पुत्र होने के नाते मुकदमें बाजी में काफी पैसा भी खर्चा किया, जेल में भी सुविधाये उपलब्ध करवाई, जिसमें प्रार्थिया की काफी धनराशि खर्च हुई, कि भविष्य में यह मेरी उचित देखभाल करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा क्योंकि प्रार्थिया पूर्व में इसके उपर काफी विश्वास करती थी। परन्तु अप्रार्थिया क्रम 2 के आने के बाद से ही इसके व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ चुका है– तथा कई बार अप्रार्थी क्रम–1 के सामने, अप्रार्थी क्रम 2 व अप्रार्थी क्रम 1 का साला व ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते, यहां तक कि लडाई झगडे व मारपीट पर आमादा हो जाते, अप्रार्थी क्रम 1 मूक दर्शक बनकर देखता रहता। अप्रार्थीगण पूरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थिया को बेदखल करने पर आमादा है, तथा प्रार्थिया को नाजायज रूप से बहुत ही परेशान व तंग कर रखा है तथा प्रार्थिया को आत्महत्या करने के लिये विवश करते है एक दो बार पुलिस को लेकर प्रार्थिया के घर पर धमकाने के लिये लेकर आ गये कि प्रार्थिया उनसे कभी कोई खर्चे की मांग नहीं करेगी। प्रार्थिया को अप्रार्थीगण से जान माल का खतरा है, प्रार्थिया को कई बार तीर्थ यात्रा पर भी जाना पड़ता है, पीछे से प्रार्थिया की अनुपस्थिति में प्रार्थिया के उक्त मकान को खुर्द बुर्द कर प्रार्थिया को बेदखल कर सकते है तथा कभी भी प्रार्थिया के साथ कोइ भी घटना कारित कर सकते है। प्रार्थिया द्वारा बतौर लाईसेंसी सहमति से अपने उक्त मकान के ग्रांउड फ्लोर के 2 कमरे, लेटरीन बाथरूम व किचन अप्रार्थीगण को पुत्र–पुत्रवधु हाने के नाते दे रहा है, इनसे खाली कराने के बाद किसी अन्य को किराये पर देने पर उसका कम से कम 5000/– रूपया प्रतिमाह किराया आयेगा, जिससे प्रार्थिया अपना जीवन यापन कर सकेगी। इन समस्त परिस्थितियों में प्रार्थिया, अप्रार्थीगण से अपने उक्त मकान नं0 132 विनोबाभावे नगर, कोटा राज0 के ग्राउंड फ्लोर का परिसर जिसमें अप्रार्थीगण बतौर लाईसेंसी है, खाली कराने की अधिकारी है, अतः अप्रार्थीगण को उक्त परिसर से बेदखल किया जावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध उसके स्थित परिसर मकान नं0 1321 विनोबाभावे नगर, कोटा राज0 के संपूर्ण तल मंजिल ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरे, किचन, लेटरीन, बाथरूम को खाली कराकर, कब्जा प्रार्थिया को दिलाया जाये, तथा प्रार्थिया के उक्त वर्णित सोने चांदी के जेवरात

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

व सामान जो अप्रार्थीगण के कब्जे में है, दिलाये जावें– प्रार्थिया को उक्त परिसर का जब तक कब्जा नहीं मिल जाये, तब तक प्रार्थिया को अप्रार्थीगण से यूज एण्ड ओकूपेशन चार्जेज के रूप में 7000/– रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तथाकथित मकान नं0 1321 विनोबाभावे नगर कोटा स्थित जो अप्रार्थी क्रम 1 के पिता के नाम से खरीद किया गया था, उसमें अप्रार्थी क्रम 1 पिता के जीवनकाल से ही यानि मकान खरीद करने की तिथि से निरन्तर काबिज चला आ रहा है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह भी इसी मकान में हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी गण का उक्त मकान में निवास करने वाला कथन कतई मिथ्या व मनघढन्त अंकित किया गया है। तथाकथित मकान नं0 1321 अकेले अप्रार्थी के पिता द्वारा खरीद नहीं किया गया, बल्कि मकान खरीदने में 200000/– रूपये स्वयं उधार लाकर अप्रार्थी नं0 2 द्वारा अपने पिता चौथमल जी को दी थी जिससे मकान खरीद किया गया है और तभी से अप्रार्थी नं0 1 अपने पिता के जीवनकाल से मकान पर प्रार्थिया सहित बतौर मालिक निवास करता आ रहा है। अप्रार्थी नं0 1 व 2 हाड़ौती कालोनी में कभी किराये से निवास नही किया और न ह ीवह किसी हाड़ौती कालोनी को जानता ही है, बल्कि शुरू से ही वह इसी मकान नं0 1321 में मालिक की हैसियत से निवास करता आ रहा है, जो मकान अप्रार्थी नं0 1 के पैसों को मिलाकर पिता के नाम से खरीद किया हुआ है। प्रार्थिया अप्रार्थी गण के साथ ही रहती रही है, और अप्रार्थीगण ही उसकी सेवा सुश्रुषा व निर्वाह आदि सुचारू रूप से करते आ रहे है, किन्तु मात्र लोगों की सिखावट में आकर दुर्भावना का आशय रखते हुये झूंठे तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। इस पैरा में अंकित प्रार्थिया के समस्त जैवरात स्वयं प्रार्थिया के पास है, तथा प्रार्थिया का कोई जेवरात या गैस सिलेन्डर, चुल्हा आदि अप्रार्थी गण के पास नहीं है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 का अलग से गैस सिलैन्डर व चूल्हा हैं, जिसका शुरू से ही वह उपयोग करते आ रहे है। किन्तु अभी कुछ समय से लोगों की सिखावट में आकर प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के साथ रहना बन्द कर अलग से खाना बनाना शुरू कर दिया है, और अब दुर्भावना व बदयान्ति अलग से खाना बनाना शुरू कर दिया है, और अब दुर्भावना व बदयान्ति के आशय से झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में जिस कैस का वर्णन किया गया है, वह 2004–05 मै झुठा दर्ज होने से अप्रार्थी नं0 1 को बन्द किया गया था, जिसमें तदुपरान्त अप्रार्थी मुक्त हो गया तथा अप्रार्थी गण द्वारा प्रार्थिया के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा या दुर्व्यवहार नही किया गया, बल्कि प्रेम पूर्वक साथ रखकर उसका निर्वाह करने को तैयार व तत्पर रहे है, मात्र लोगों के बहकावे में आकर इस पैरा में समस्त तथ्य मनघढन्त एवं काल्पनिक अंकित कराये गये है जो निराधार है। अप्रार्थी गण ने प्रार्थिया को सदैव प्रेम व प्यार से साथ रखकर उसका निर्वाह किया है, तथा उसके खर्चे हेतु उसे 5000/– रूपये माहवार खर्चा भी अदा किया है, तथा प्रार्थिया को आत्महत्या के लिये उक्साने, तथा पुलिस को लाकर प्रार्थिया को धमकियां दिलाने का कथन सर्वथा गलत व झूठा अंकित किया गया है, बल्कि पुलिस को प्रार्थिया द्वारा स्वयं ही बुलाकर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को मकान खाली करने के लिये धमकाया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को कभी भी परेशान व तंगा नहीं दिया है। अप्रार्थीगण, एवं प्रार्थिया शुरू से ही खरीद करने की तिथी से मकान में बतौर मालिक व स्वामी निवास करते आये है, और उनके द्वारा प्रार्थिया से मकान को खुर्द बुर्द आदि करने बाबत कभी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कोई बात चीत नही की है, और न ही उनका ऐसा कोई इरादा है। बल्कि अनुचित दबाव बनाकर पैसा ऐठने की नीयत से लोगो के बहकावे में आकर इस प्रकार के झूठें कथन इस पेरा में किये गये है, जो स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थिया अप्रार्थी क्रम 1 की माता है, जिसके साथ अप्रार्थी गण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कारित करने का भी कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी गण, प्रार्थिया के लाईसेन्सी की हैसियत से मकान में नही रहे है, बल्कि मकान खरीदने की तिथि से ही अपने पिता के साथ ही बतौर मालिक व स्वामी प्रार्थिया सहित निवास करते आ रहे है, तथा प्रार्थिया द्वारा इस पैरा में अप्रार्थी गण को लाईसेन्सी बतौर मकान में काबिल होना सर्वथा असत्य अंकित किया है, तथा ऐसा कोई लाईसेन्स भी प्रार्थिया के पास मौजूद नही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया न तो उक्त मकान अप्रार्थीगण से खाली कराने की अधिकारी है और न अप्रार्थीगण को बेदखल करने की अधिकारी है और न किसी प्रकार का यूज एण्ड ऑक्यूपेशन चार्जेज ही पाने की अधिकारी है तथा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की ओर से अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच करने का कथन कर अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने का निवेदन किया है। परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उपरोक्त मकान को अप्रार्थीगण से खाली कराने के बाद किसी अन्य को किराये पर देने पर उसका कम से कम 5000/– रूपया प्रतिमाह किराया आयेगा, जिससे प्रार्थिया अपना जीवन यापन कर सकेगी। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी गण ने प्रार्थिया को सदैव प्रेम व प्यार से साथ रखकर उसका निर्वाह किया है, तथा उसके खर्चे हेतु उसे 5000/– रूपये माहवार खर्चा भी अदा किया है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का कोई स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपनी माता को कुल 5000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/11/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा